मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 का अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

25 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में आयोजति मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण वकिास, आर्थकि स्वालंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार को बनाए रखने एवं महिलाओं की परविार में नर्णिय की भूमिका सुदृढ़ कयि जाने के लयि 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023' का अनुमोदन कयि।

प्रमुख बदिु

- योजना में समय-सीमा में स्वीकृत दियि जाने का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की ववािहति महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी।
- प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधमिें 1000 रुपए प्रतमिाह के मान से राशसिीधे उसके आधार लकिंड बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- कसिी परविार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजकि सुरक्षा पेंशन योजना में यदपि्रतमिाह 1000 रुपए से कम राशपि्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशपि्रदाय कर 1000 रुपए तक राशकिी पूर्तकिरने का योजना में प्रावधान कयिा गया है।
- योजना में समस्त आवेदन नःिशुल्क ऑनलाइन प्राप्त कयि जाएंगे। इसके अतरिक्ति हतिग्राही यदस्वियं उपस्थति होकर 'आवेदन के लयि आवश्यक जानकारी का प्रपत्र'देती है तो उसकी भी प्रवषि्टी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है।
- वत्तिीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत लगभग एक करोड़ महिला हतिग्राहयिों को 1000 रुपए प्रतमिाह के मान से राशखिाते में जमा की जाएगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/approval-of-mukhyamantri-ladli-bahna-yojana-2023